न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

(94)

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1292–चार/2008 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 11–8–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 802/2007–08 निगरानी

1– सत्यभान 2– त्रिवेणी 3– सूरज
पुत्रगण राजमणी कुशवाह ग्राम भाजन
तहसील सिरमौर, जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

देवशरण पुत्र वैसाहू कुशवाह
ग्राम भाजन तहसील सिरमौर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी.एस.चौहान)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 14 -09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 802/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–8–2008 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार वृत्त गढ़ तहसील सिरमौर के समक्ष आवेदन देकर बताया कि उनके स्वत्व की ग्राम गुढ़ स्थित आराजी क्रमांक 1029/9 रकबा 0.51 ए. है किन्तु जहां पर आवेदकगण का कब्जा है वहां राजस्व निरीक्षक ने बिना सक्षम अधिकारी के सर्वे क्रमांक 1029/5 का नक्शा तरमीम कर दिया है इसलिये नक्शे में सुधार किया जावे।

तहसीलदार वृत्त गुढ़ ने प्रकरण क्मांक 11 अ-6-अ /2007-08 पॅजीबद्ध किया जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 11-4-2008 पारित करके राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 23-5-07 को किया गया सीमांकन निरस्त कर दिया तथा आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार करते हुये आराजी नंबर 1029 के समस्त बटा नंबरों का मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम का प्रस्ताव 15 दिन में प्रस्तुत करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी क्मांक 338/07-08 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 30-7-08 पारित करके निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्मांक 802/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-8-2008 से निगरानी स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 11-8-2008 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को इस आधार पर निरस्त किया है कि अनावेदकगण द्वारा नक्शा सुधार का आवेदन संहिता की धारा 114, 115 के अंतर्गत दिया है जो नक्शा तर्मीम किये जाने की धारायें नहीं है। राजस्व निरीक्षक गढ़ का प्रतिवेदन दिनांक 15-9-2007 निगरानीकर्ता के पक्ष में है जो अनावेदकगण की उपस्थिति में ही तैयार किया गया है। इसी तरह हलका पटवारी द्वारा कब्जा के मुताविक की गई पेन्सिलिन को राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ ने लाल स्याही से दिनांक 24-3-04 को सत्यापित किया है। यदि नक्शा तरमीम त्रृटिपूर्ण था तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देना थी । इस प्रकार तहसीलदार ने गलत तरीके से

पूर्व नक्शा तरमीम व उसके अनुशरण में किये गये सीमांकन को निरस्त किया है। तहसीलदार वृत्त गुढ़ के आदेश दिनांक 11-4-2008, अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 30-7-08 में निकाले गये निष्कर्ष दोषपूर्ण पाए गए हैं किन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 802/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-8-2008 भी दोषपूर्ण है क्योंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर देने से पक्षकारों की भूमि का नक्शा तरमीम नहीं हो सकेगा और एक-दूसरे की भूमियों के कब्जा विवाद यथावत् बने रहेंगे, जिसके कारण भूमि सर्वे क्रमांक 1029 का नक्शा तरमीम लाजमी है परन्तु आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 802/2007-08 निगरानी में आदेश दिनांक 11-8-2008 पारित करते समय इस पर गौर न करने की भूल की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 802/2007-08 निगरानी में आदेश दिनांक 11-8-2008 , अपर कलेक्टर रीवा द्वारा निगरानी क्रमांक 338/07-08 में पारित आदेश दिनांक 30-7-08 तथा तहसीलदार वृत्त गुढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 11 अ-6-अ /2007-08 में पारित आदेश दिनांक 11-4-2008 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर रीवा की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वाद विचारित भूमि का अधीक्षक भू अभिलेख से पुर्नसीमांकन कराते हुये नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्राप्त करें एंव हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नक्शे में सॅशोधन वावत् आदेश पारित करें।

(एम.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर